कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अस्कोट (पिथौरागढ़)।

E-mail- eepwdaskote@gmail.com

दिनांक 4/10 -2024

पत्रांक-1261 /13सी0

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

विषयः- जनपद पिथौरागढ़ में विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बलुवाकोट से कांडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.850 है0 वनभूमि का गैरवानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (FP/UK/ROAD/8888/2014)

संदर्भः- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक 8बी/यू.सी.पी./06/119/2018/एफ.सी./354 दिनांक 13-07-2021 (प्रति संलग्न)

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तो की अनुपालन आख्या बिन्दुवार निम्नवत है:-

क्र. स.	शर्त	अनुपालन आख्या
1	वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा वन भूमि की विधिक परिस्थति नहीं बदली जायेगी।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपें जाने के बाद ही वनभूमि सौपी जायेगी।	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपे जाने के बाद ही वनभूमि सौपी जायेगी।
3	<u>प्रतिपूरक वनीकरणः-</u> **(क)** वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 3.70 है0 सिविल सोयम भूमि ग्राम बलुवाकोट, खसरा सं0- 19641, 19639,19640,19662 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें। **(ख)** गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। Gudeline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वनविभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित /संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है। **(ग)** वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नही किया गया है।	(क) प्रस्तावित स्थल के आस-पास क्षतिपूरक वनीकरण की धनराशि जमा कर दी गई है। स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जायेगा तथा प्रजातियों का मिश्रित प्लांटेशन किया जायेगा। (ख) क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित वनभूमि को वनविभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण कर दिया गया है। (ग) शर्त मान्य है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वनविभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है।	शर्त संख्या -3 (क) अनुसार प्रतिपूरक वनीकरण की धनराशि जमा की गई है।

21-10-24

	(क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0 (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006 – एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007– एफ0सी0 दिनांक 05. 02.2009 में जारी दिषानिर्देषानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.850 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। (ख) विषेषज्ञ समिति से रिर्पोट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राषि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा एन.पी.वी. की धनराशि जमा कर दी गई है। (छाया प्रति संलग्न) प्रस्तावक विभाग द्वारा शपथ पत्र संलग्न है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 81 Trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	शर्त मान्य है।
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic.in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फण्ड में स्थानान्तरित/जमा किए जाएगें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुपालन किया गया है।
8	गाईडलाईन्स में दिए गए दिषानिर्देषो के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षो के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेष की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिष्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेष में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुपालन किया गया है।
9	एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिष्चित किया जायेगा।	वनअधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेख /प्रमाण पत्र संलग्न कर दिये गये है। (छाया प्रति संलग्न)
10	प्रयोक्ता अभिकरण आई.आर.सी. मानदण्डो के अनुसार सड़क के दोनो किनारों एवं उसके बीचो बीच पौधो की संख्या बढ़ायेगा।	आई.आर.सी. मानदण्डो के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचो बीच पौधो की संख्या बढ़ाई जायेगी।
11	संरक्षित क्षेत्रों /वन क्षेत्रो में निष्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जायेगे।	प्रस्तावक विभाग द्वारा सड़क के साथ गति विनिमय साइनेज लगाये जायेंगे।
12	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्राविधानो के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	शर्त मान्य है।
13	केन्द्र सरकार की पुर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा केन्द्र सरकार की पुर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।
14	वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा वनभूमि में श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।
15	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विषेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा।
16	संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देषानुसार, प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा।	संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देषानुसार, प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा।
17	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया गया है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया गया है।

18	वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	वनभूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।
19	केन्द्र सरकार की पुर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेसियां विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नही की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा केन्द्र सरकार की पुर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेसियां विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नही की जायेगी।
20	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लघंन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लघंन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु वन मंत्रालय के दिषानिर्देष फाईल संख्या 11–42/2017–एफ0सी0 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही की जायेगी।	वनसंरक्षण 1980 का उल्लघंन नहीं किया गया है।
21	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण से विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी।	निर्धारित शर्तो का पालन किया जायेगा।
22	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावष्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वनविभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थित एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाऐगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षो की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	मकडिस्पोजल का प्राविधान किया गया है।
23	यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम /अनुच्छेद /नियम /न्यायालय आदेष /अनुदेष आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।	संबंधित अधिनियम का पालन प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया जायेगा।
24	अनुपालन रिपोर्ट ई –पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जायेगी।	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल पर अपलोड की गई है।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

04/10/24

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
अस्कोट(पिथौरागढ़)

पत्रांक 1261 /13सी0 तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ़।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन भूमि हस्तान्तरण इन्दिरानगर फारेस्ट कालौनी उत्तराखण्ड देहरादून।
3. वन संरक्षक उत्तरी कुमाऊँ वृत्त अल्मोड़ा।
4. अधीक्षण अभियन्ता तृतीय वृत्त लो0नि0वि0 पिथौरागढ़ ।
5. सहायक अभियन्ता लो0नि0वि0 अस्कोट।
6. कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0) निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 अस्कोट।

04/10/24

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
अस्कोट(पिथौरागढ़)

मल्लवाकोट 551

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 28-03-2022

Agency Name.	CONSTRUCTION DIVISION PWD ASKOTE
Application No.	6188880242
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/119/2018/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	cd pwd askotePithoragarh
Amount(in Rs)	2587787 /-

Amount in Words :Twenty-Five Lakh Eighty-Seven Thousand Seven Hundred and Eighty-Seven Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150896188880242 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 28-03-2022

Agency Name.	CONSTRUCTION DIVISION PWD ASKOTE
Application No.	6188880242
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/119/2018/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	cd pwd askote Pithoragarh
Amount(in Rs)	2587787./-

Amount in Words :Twenty-Five Lakh Eighty-Seven Thousand Seven Hundred and Eighty-Seven Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150896188880242 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to Email: cb0371@unionbankofindia.com

खण्डीय लेखाधिकारी
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
अस्कोट (पिथौरागढ़)

Executive Engineer
Constuction Division
P. W. D. Askote
Code No 18

भारतीय स्टेट बैंक, अस्कोट-05972
पी० एफ० नं० 0-7081723
05 APR 2022
Deepak Singh
मेकर

SBIN 22209583166?

SBIN 22209583166

9 (12)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0 नि0 वि0 अस्कोट
पत्रांक 878
फाईल नं0 15.C
दिनांक 30/03/22

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax &☎ 05964- 225234

पत्रांकः– 6669 /12-1 दिनांक, पिथौरागढ़, 26, मार्च, 2022।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
अस्कोट, पिथौरागढ़।

विषयः– जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत बलुवाकोट कांडा मोटर मार्ग के निर्माण प्रस्ताव में सैद्धान्ति स्वीकृति उपरान्त डिमान्ड नोट प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

संदर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून पत्रांक 08 बी/यू0सी0पी0/06/119/2018/एफ.सी./354 दिनांक 22.07.2021 प्रस्तावक विभाग का पत्रांक 1293/13सी0 दिनांक 22.07.2021 तथा आपका पत्रांक 264/सी0 दिनांक 23.03.2022।

उपरोक्त विषयक आपके संदर्भित पत्र के कम में सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दु सं0 04 व के कम में संशोधित डिमाण्ड नोट पुनः आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

क0 सं0	मद	इकाई	दर	जमा की जाने वा धनराशि
1	एन0पी0वी0	1.85 हे0	6,57,000/– (ईको क्लास–V) घनत्व 0.2	12,15,450.00/-
2	क्षतिपूरक वृक्षारोपण	3.70 हे0	3,70,902.00	13,72,337.4/–
			योग	25,87,787.4/– या 25,87,787.0

कृपया उक्त डिमान्ड नोट ऑन लाइन अपलोड कर नोडल कार्यालय द्वारा डिमान्ड नोट सत्यापन के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

नोडल अधिकारी वन/स0 अ0 धारचूला/अमीन

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

30/3/22

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पत्रांक 345
फाईल नं. 13
दिनांक 5/09/22

आदेश

भा. सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के पत्र संख्या–8बी/यू.सी./06/119/2018/एफ.सी./354 दिनांक 13.07.2021 के द्वारा जनपद पिथौरागढ़ के वि. सभा क्षेत्र धारचूला अन्तर्गत बलुवाकोट–काण्डा मोटर मार्ग निर्माण में ली जा रही 1.850 हे0 वन भूमि के बदले दोगुनी 3.700 हे0 राज्य भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की शर्त पर वन भूमि हस्तान्तरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है।

राजस्व अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2173/XVIII(II)/2012–18 (1)/2010 दिनांक 17.12.2012 में निहित प्राविधानों के अनुसार जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला अन्तर्गत बलुवाकोट–काण्डा मोटर मार्ग निर्माण में ली जा रही 1.850 है0 वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम बलुवाकोट पट्टी बलुवाकोट तहसील धारचूला के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या–304 श्रेणी–9(3)ड़ बंजर काबिल आवाद के खेत नम्बर 19639 मध्ये रकवा 0.481 हे0, 19640 मध्ये रकवा 0.627 हे0, 19662 रकवा 2.091 हे0 तथा खाता संख्या–324 श्रेणी–10(4) बंजर नाकाबिल आवाद के खेत नम्बर 19641 रकवा 0.501 हे0 इस प्रकार 02 खातों के कुल 04 खेतों की 3.700 हे0 सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान कीजाती है।

तहसीलदार, धारचूला स्वीकृत भूमि का हस्तान्तरण/नामान्तरण वन विभाग के नाम करना सुनिश्चित करें।

दिनांक 01/9/2022

(डॉ0 आशीष चौहान)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़।

संख्या–2663/सात–67/2021–22 दिनांक सितम्बर 02, 2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़।
2. प्रभारी अधिकारी वन, जिला कार्यालय पिथौरागढ़।
3. उप जिलाधिकारी धारचूला।
4. तहसीलदार धारचूला को प्रश्नगत भूमि के खसरे की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियमानुसार स्वीकृत भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण सुनिश्चित करें।
5. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अस्कोट।

नोडल अधिकारी (वन)/अभीन

(डॉ0 आशीष चौहान)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

नकल खतौनी ग्राम – [illegible] पट्टी– [illegible] तहसील–धारचूला , जिला पिथौरागढ फसली वर्ष सन्–

श्रेणी–

खाता नं0	नाम खातेदार	जोत का वर्ष	खेत नं0	क्षेत्रफल हे0में.	विवरण
1	2	3	4	5	6 7 8 9 10 11 12 13
324	[illegible]		840 841 [illegible] 14641 [illegible] 23622 23701	0.350 6.291 [illegible] 0.043 [illegible] 0.024 0.091	जिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ़ के आदेश संख्या 2263/[illegible]-6/2021-22 दिनांक [illegible] 2021-22 [illegible] खाता 324 [illegible] रकबा 0.042 [illegible] हस्तान्तरित किया [illegible] 21.03.[illegible] 12/2/2024
		योग	479	200.332	

राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र [illegible] तह0 [illegible]
[illegible] पिथौरागढ़

नकल खतौनी ग्राम – [illegible] पट्टी– [illegible] तहसील–धारचूला , जिला पिथौरागढ फसली वर्ष सन्–

श्रेणी– 9(3) 50 बंजर काबिल आबाद

खाता नं0	नाम खातेदार	जोत का वर्ष	खेत नं0	क्षेत्रफल हे0में.	विवरण
1	2	3	4	5	6 7 8 9 10 11 12 13
304	बंजर काबिल आबाद A.		1 18 [illegible] 19639 19640 19662 [illegible] 17661/4 20036/2-	0.140 0.333 [illegible] 0.481 0.627 2.091 [illegible] 0.075 0.055	जिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ़ के आदेश संख्या 2263/सात–(7)/2021–22 दिनांक [illegible] 2022 के अनुसार ग्राम [illegible] तहसील धारचूला जिला पिथौरागढ़ की खतौनी खाता सं. 304 श्रेणी 9(3) 50 बंजर काबिल आबाद के खेत नम्बर 19639 [illegible] रकबा 0.481 है 19640 [illegible] 0.627 है 19662 [illegible] रकबा 2.019 है [illegible] भूमि को [illegible] के नाम [illegible] की जाती है [illegible] 12/7/2024
		योग	719	163.560	

राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र [illegible] तह0 धारचूला
जिला– पिथौरागढ

प्रपत्र–43

रियोजना का नामः– जनपद पि रागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत विकास खण्ड धारचूला के बलुवाकोट कांडा मोटर मार्ग का निर्माण। (लम्बाई 2.00 किमी0)

न0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा न0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन ाग की माँग के अनुसार किया जायेगा।

ह0/–
प्रयोक्ता एजेन्सी

सहायक अभियन्ता
उपखण्ड लो0नि0वि0
धारचूला

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
अस्कोट (पिथौरागढ़)

P.C. Attest

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
अस्कोट (पिथौरागढ़)